निबंधन सं० पी० टी०—40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 आषाढ़ 1928 (श०)

(सं० पटना 579) पटना, बुधवार, 19 जुलाई, 2006

मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना

1 जुलाई, 2006

सं०7/नि०3-02/06—974— भारत के संविधान की धारा 243 छ (11 वीं अनुसूची, मद संख्या-17) तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम,2006 के अनुच्छेद 47 एवं 48 सह पठित अनुच्छेद 146 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन हेतु निम्नांकित नियमावली बनाती हैं :—

नियमावली

प्रस्तावना— संविधान की धारा 21 'क' के अन्तर्गत 6—14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा उनका मौलिक अधिकार हो गया है। इसके लिए राज्य के प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में व्यापक प्रसार एवं सुधार के कार्यक्रमों को अपनाया जाना आवश्यक हो गया है। हजारों नये प्रारंभिक विद्यालयों को खोलने तथा बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियोजन की आवश्यकता है। साथ ही 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के आलोक में प्रारंभिक शिक्षा में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए प्रारंभिक शिक्षा के दायित्वों के निर्वहन का भार भी इन संस्थाओं को सौंपना आवश्यक हो गया है। अतएव इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशेष योजना के अधीन प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर नियोजन हेतु यह नियमावली बनायी जा रही है।

1. संक्षिप्त नाम,प्रसार एवं प्रारंभ —
   (i) यह नियमावली ''बिहार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमांवली 2006'' कहीं जायेगी।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (iii) यह अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी।
2. परिभाषाएँ — जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विरुद्ध नहीं हो, इस नियमावली में —
   (i) ''प्राथमिक विद्यालय'' से अभिप्रेत है वैसे राजकीय एवं राजकीयकृत विद्यालय जहां वर्त्तमान में कक्षा पांच तक की शिक्षा की व्यवस्था है;
   (ii) ''मध्य विद्यालय'' से अभिप्रेत है वैसे राजकीय/राजकीयकृत जहां वर्त्तमान में कक्षा सात या कक्षा आठ तक की शिक्षा की व्यवस्था है;
   (iii) ''प्रारंभिक विद्यालय'' से अभिप्रेत है राजकीय/राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य विद्यालय;
   (iv) ''पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक'' से अभिप्रेत है नियमावली की कंडिका 3 के अनुसार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में नियोजित होने वाले प्रखंड शिक्षक एवं पंचायत शिक्षक;
   (v) ''श्रेणी'' से अभिप्रेत है पंचायत प्रारम्भिक शिक्षकों की श्रेणी;
   (vi) ''विभाग'' से अभिप्रेत है मानव संसाधन विकास विभाग;
   (vii) ''पंचायत'' से अभिप्रेत है ग्रामीण क्षेत्र के लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 'ख' के अधीन गठित स्वशासी संस्था यथा जिला परिषद्,पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत;
   (viii) ''ग्राम पंचायत'' से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत;

(ix) "पंचायत समिति" से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित प्रखंड स्तरीय पंचायत समिति;

(x) "प्रशिक्षण" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्षीय प्रशिक्षण । मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0एल0एड0 या बी0एड0;

(xi) "उर्दू इकाई" से अभिप्रेत है प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू पढ़ने वाले कम–से–कम दस तथा अधिकतम तीस बच्चों के लिए एक शिक्षक का पद;

(xii) "विद्यालय शिक्षा समिति" से अभिप्रेत है प्रत्येक विद्यालय के प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण हेतु विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम, 2000 के अधीन गठित समिति;

(xiii) "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से अभिप्रेत है" NCTE या अन्य किसी नाम से विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को नियमित करनेवाली परिषद;

(xiv) "कार्यपालक पदाधिकारी" से अभिप्रेत है किसी पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी ।

3– **<u>पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों की श्रेणी</u>** :– **पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक निम्नांकित दो श्रेणी के होंगे:–**

(क) प्रखण्ड शिक्षक

(प्रखण्ड स्तर पर नियोजित शिक्षक जिसमें शारीरिक शिक्षा शिक्षक भी सम्मिलित है)

(ख) पंचायत शिक्षक

(ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजित शिक्षक)

4– **पंचायत प्रारम्भिक शिक्षकों का नियोजन** :–

(1) प्रखण्ड शिक्षको का नियोजन मध्य विद्यालय में पंचायत समिति के द्वारा तथा पंचायत शिक्षक का नियोजन प्राथमिक विद्यालयों में ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा ।

(2) शिक्षकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त दोनों स्तरों पर कोटिवार प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों का पैनल अलग–अलग तैयार किया जायेगा । सर्वप्रथम प्रशिक्षित शिक्षकों का नियोजन किया जायेगा । तत्पश्चात रिक्ति उपलब्ध होने पर अप्रशिक्षित शिक्षकों का नियोजन भी किया जा सकेगा और उन्हें दो वर्षीय प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी ।

(3) आरक्षित कोटि में उच्चतर माध्यमिक/इन्टरमीडियट परीक्षा पास उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में माध्यमिक परीक्षा पास उम्मीदवारों को भी नियोजित किया जा सकेगा; परन्तु उन्हें निर्धारित योग्यता अधिकतम 6 वर्षों के अन्दर प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

5– <u>आरक्षण</u>:–

(क) "पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक" का नियोजन आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जायेगा ।

(ख) प्रत्येक कोटि में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थी का नियोजन किया जायेगा। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला के लिए चिन्हित किया जायेगा ।

(ग) 50% पुरुष एवं 50% महिला के लिए पदों के निर्धारण के बाद आरक्षण विन्दु 1 से प्रारम्भ होगा। इसके लिए अलग–अलग रोस्टर पंजी संधारित की जायेगी ।

(घ) पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक की प्रत्येक कोटि में तीन प्रतिशत विकलांग (दृष्टि बाधित 1% श्रवण बाधित 1% तथा अस्थिजन्य विकलांग 1%) उम्मीदवारों का नियोजन किया जायेगा ।

टिप्पणी – मेधा के आधार पर चयन होने की स्थिति में किसी व्यक्ति को विकलांग होने के कारण नियोजन से वंचित नहीं किया जायेगा ।

6– उर्दू शिक्षकों का नियोजनः–

विद्यालय के मात्र उर्दू इकाईयों पर उर्दू योग्यता रखने वाले तथा मौलवी योग्यताधारी अभ्यर्थियों का नियोजन किया जायेगा ।

7– शारीरिक शिक्षा शिक्षक का नियोजनः–

प्रत्येक मध्य विद्यालय में एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक का नियोजन किया जायेगा ।

8– नियुक्ति हेतु :–

(क) अर्हताः

प्रखण्ड शिक्षक के लियेः–

1 भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हों ।

2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उच्चतर माध्यमिक अथवा इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो ।

3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में स्नातक (बी0एल0एड0) अथवा बी0एड0 के साथ स्नातक अथवा समकक्ष योग्यता ।

शारीरिक शिक्षा शिक्षक के लिए न्यूनतम दो वर्षों का सर्टिफिकेट (सी0पी0एड0) अथवा समकक्ष योग्यता प्राप्त हो ।

परन्तु इस नियमावली के अधीन प्रथम नियोजन में वैसे उम्मीदवारों का भी नियोजन किया जा सकेगा, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय/महाविद्यालय से दो वर्षो का शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा/बी0एड0/2 वर्षो का शारीरिक प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट (सी० पी० एड०) पास हो।

पंचायत शिक्षक के लियेः–

1. भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो ।

2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उच्चतर माध्यमिक/इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो ।

3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में स्नातक (बी0एल0एड0) ।

परन्तु इस नियमावली के अधीन प्रथम नियोजन में वैसे उम्मीदवारों का भी नियोजन किया जा सकेगा, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय/महाविद्यालय से दो वर्षों का शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा पास हो ।

(ख) आयु :–

जिस वर्ष नियोजन किया जा रहा हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग को 5 वर्ष, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 वर्ष तथा प्रत्येक कोटि की महिला उम्मीदवार के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

परन्तु प्रखण्ड शिक्षक तथा पंचायत शिक्षक की प्रशिक्षित श्रेणी के नियोजन के प्रथम नियोजन में अधिकतम उम्र सीमा क्षान्त रहेगी ।

9– नियोजन की प्रक्रिया

(i) राज्य सरकार प्रखण्ड शिक्षकों के नियोजन हेतु समय–समय पर पंचायत समिति को तथा पंचायत शिक्षकों के नियोजन हेतु ग्राम पंचायतों को पदों की संख्या उपलब्ध करायेगी ।

(ii) पंचायत समिति/ग्राम पंचायत द्वारा कोटिवार प्रखण्ड शिक्षक तथा पंचायत शिक्षक के रिक्त पदों की सूचना का प्रकाशन पूरे प्रखंड/पंचायत में कम से कम 15 दिनों तक के लिए किया जायेगा ।

(iii) विहित प्रपत्र (अनुसूची – I) में आवेदन पत्र प्रखण्ड शिक्षक के लिए प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के यहाँ तथा पंचायत शिक्षक के लिए ग्राम पंचायत के सचिव के यहाँ प्राप्त किया जायेगा । प्राप्ति के बाद तुरन्त एक प्रति रसीद दी जायेगी/भेजी जायेगी ।

(iv) प्रखण्ड शिक्षक के नियोजन हेतु पैनल :–

(क) प्रखण्ड शिक्षक के नियोजन हेतु पैनल प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति के प्रमुख की अध्यक्षता में गठित पंचायत समिति के द्वारा मेधा अंको के आधार पर तैयार किया जायेगा । मेधा अंकों की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :–

1. मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक/इन्टरमीडिएट – प्राप्तांक का प्रतिशत
2. दो वर्षीय प्रशिक्षण/बी0एल0एड0/बी0एड0/सी0पी0एड0 – प्राप्तांक का प्रतिशत

परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी दो वर्षीय प्रशिक्षण तथा बी0एल0एड0/बी0एड0/सी0पी0एड0 की डिग्री प्राप्त किया हो तो उनके द्वारा दावा किये गये किसी एक प्रशिक्षण के प्राप्तांक के प्रतिशत को मेधा अंक में जोड़ा जायेगा ।

(ख) उपरोक्त 1 और 2 को जोड़कर तथा जोड़ को दो से भाग देने पर जो प्रतिशत होगा, वही अभ्यर्थी का मेधा अंक होगा ।

(ग) परन्तु शारीरिक शिक्षा शिक्षक के नियोजन हेतु पैनेल अलग से तैयार किया जायेगा ।

(v) पंचायत शिक्षक के नियोजन हेतु पैनल :–

(क) पंचायत शिक्षक के नियोजन हेतु पैनल ग्राम पंचायत के मुखिया की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा मेधा अंको के आधार पर तैयार किया जायेगा । मेधा अंको की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :–

1. मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक/इन्टरमीडिएट – प्राप्तांक का प्रतिशत
2. दो वर्षीय प्रशिक्षण/बी0एल0एड0 – प्राप्तांक का प्रतिशत

परन्तु यदि कोई अभ्यथी दो वर्षीय प्रशिक्षण तथा बी0एल0एड0 दोनों की डिग्री प्राप्त किया हो तो उनके द्वारा दावा किये गये किसी एक प्रशिक्षण के प्राप्तांक के प्रतिशत को मेधा अंक में जोड़ा जायेगा ।

(ख) उपरोक्त 1 और 2 को जोड़कर तथा जोड़ को दो से भाग देने पर जो प्रतिशत होगा, वही अभ्यर्थी का मेधा अंक होगा ।

(vi) दोनों स्तरों के शिक्षकों के नियोजन हेतु पैनल निर्माण के कम में समान अंक प्राप्त होने पर, जिनकी जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें पैनल में उपर रखा जायेगा । समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर ड्रॉ ऑफ लॉट् के द्वारा पैनल में उपर स्थान निर्धारित होगा ।

(vii) <u>पैनेल निर्माण हेतु समिति का गठन तथा अनुमोदन</u> :–

प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर पैनल का निर्माण निम्नलिखित समिति के द्वारा किया जाएगा :–

(क) <u>प्रखण्ड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षक हेतु</u> :–

(i)	पंचायत समिति का प्रमुख	– अध्यक्ष
(ii)	कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति	– सदस्य
(iii)	पंचायत समिति के शिक्षा समिति द्वारा चयनित एक सदस्य; (प्रमुख पुरूष होने पर चयनित सदस्य महिला होगी)	– सदस्य
(iv)	प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी	– सदस्य सचिव

(ख) <u>पंचायत शिक्षक हेतु</u> :–

(i)	ग्राम पंचायत का मुखिया	– अध्यक्ष
(ii)	ग्राम पंचायत के शिक्षा समिति द्वारा चयनित एक सदस्य; (मुखिया पुरूष होने पर चयनित सदस्य महिला होगी)	– सदस्य
(iii)	पंचायत समिति का वह सदस्य जिनके क्षेत्र का अधिकांश भाग उस पंचायत में पड़ता हो	– सदस्य
(iv)	पंचायत अथवा पंचायत के निकटस्थ माध्यमिक विद्यालय का जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक शिक्षक	– सदस्य
(v)	ग्राम पंचायत सचिव	– सदस्य सचिव

परन्तु उपरोक्त दोनों समितियों में चयनित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होगा ।

टिप्पणी:– पंचायत समिति की शिक्षा समिति तथा ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति गठित नहीं होने की स्थिति में प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के एक सदस्य समिति के सदस्य मनोनित कर सकेंगें ।

vii) पैनल तैयार हो जाने पर उसे सार्वजनिक किया जायेगा। किसी प्रकार की आपत्ति देने हेतु एक सप्ताह का समय दिया जायेगा। प्राप्त आपत्ति का निराकरण कर पैनल को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

x) प्रखण्ड शिक्षकों तथा पंचायत शिक्षकों के नियोजन हेतु तैयार पैनेल का अनुमोदन कमशः पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा ।

(x) चयनित अभ्यर्थियों को इच्छित विद्यालयों में नियोजन मेधा के आधार पर तैयार पैनेल से अनुसूची–II में अंकित प्राथमिकता के अवरोही कम में उपरोक्त समिति द्वारा काउन्सिलिंग के आधार पर किया जायेगा ।

(xi) चयनित अभ्यर्थी को नियोजन पत्र (अनुसूची – III) भेजा जायेगा । सहमति पत्र के आधार पर योगदान स्वीकृत किया जायेगा ।

10– अनुकम्पा के आधार पर नियोजन:–

शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर निर्धारित योग्यता के अनुरूप पंचायत शिक्षक / प्रखण्ड शिक्षक के पद पर उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध नियोजन किया जा सकेगा यदि वे स्पष्ट रूप से इसके लिए अपनी सहमति देते हैं। नियोजन सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी निर्धारित अन्य शर्त्तों के आलोक में उपरोक्त समितियों द्वारा किया जा सकेगा, अप्रशिक्षित आश्रितों को नियोजन के बाद उन्हें अधिकतम 6 वर्षों के अन्दर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा ।

11– प्रमाण पत्रों की जॉच :–

पंचायत समिति के कार्यपालक-पदाधिकारी को तथा ग्राम पंचायत के मुखिया को यह अधिकार रहेगा कि वे प्रशिक्षण या योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जॉच करा लेंगे। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन रद्द कर दिया जायेगा और अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।

12– सेवा संबंधी अन्य शर्त्ते :–

(i) पशिक्षित प्रखण्ड शिक्षक तथा पंचायत शिक्षकों को नियत वेतन के आधार पर नियोजित किया जायेगा और उन्हें रू. 5,000 प्रतिमाह देय होगा ।

(ii) अप्रशिक्षित प्रखण्ड शिक्षक तथा पंचायत शिक्षकों को नियत वेतन के आधार पर नियोजित किया जायेगा तथा उन्हें रु० 4,000 प्रतिमाह देय होगा ।

(iii) प्रत्येक तीन वर्षो के बाद यथा निर्देशित मूल्यांकन के आधार पर प्रशिक्षित प्रखण्ड शिक्षक / पंचायत शिक्षक अपने नियत वेतन में 500 रूपये वृद्धि के हकदार होंगें तथा अप्रशिक्षित प्रखंड शिक्षक / पंचायत शिक्षक 300 रूपये वृद्धि के हकदार होंगें ।

(iv) ऐसे नियोजित शिक्षक अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक नियोजित रह सकेंगें ।

(v) अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (N.C.T.E) द्वारा अनुमोदित दो वर्षो के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी । 6 वर्षो के बाद सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक का नियत वेतन देय होगा ।

(vi) प्रशिक्षित शिक्षकों तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए भी नियमित रूप से सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी जिसमें उनका भाग लेना अनिवार्य होगा ।

(vii) इस नियमावली के अधीन नियोजित पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार का भत्ता यथा महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता, परिवहन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

13– स्थानान्तरण :–

(i) पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक के पद अस्थानान्तरणीय होगा।

परन्तु प्रखण्ड शिक्षक को अपनी सेवा काल में तीन वर्षो के बाद अधिकतम दो स्थानान्तरण लेने की सुविधा रहेगी ।

(ii) यदि किसी विद्यालय के एक रिक्त पद हेतु एक से अधिक स्थानान्तरण के आवेदन प्राप्त होते हैं, तो अनुसूची–II के अवरोही कम में शिक्षकों को प्राथमिकता दी जायेगी और इस प्रकार के स्थानान्तरण की कार्रवाई कंडिका 9 (vii) में गठित समिति के द्वारा की जायेगी ।

14– सेवा पुस्तिका का संधारण :–

प्रखण्ड शिक्षक एवं पंचायत शिक्षक की सेवा पुस्तिका का संधारण क्रमशः प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी / ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाएगा ।